(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 39/2015–20

नई दिल्ली, दिनांकः 20 अक्टूबर, 2016

विषय:– प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 4.37 के तहत पंजीकरण के पत्तन के रूप में कलिंगानगर और टुम्ब गांव (तालुका अम्बरगांव, जिला वलसाड) में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो को शामिल करना।

समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में निम्नलिखित संशोधित करते हैं :

2. **कलिंगानगर** और **टुम्ब गांव (तालुका अम्बरगांव, जिला वलसाड)** को पंजीकरण के पत्तन से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैराग्राफ 4.37(क) में आई सी डी के अंत में जोड़ा जाएगा।

(प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित संस्करण में इन पत्तनों के नाम को सही वर्णानुक्रम में रखा जाएगा)

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:– विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के तहत निर्यात संवर्धन लाभ लेने के लिए प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के पैरा 4.37(क) के तहत **कलिंगानगर** और **टुम्ब गांव (तालुका अम्बरगांव, जिला वलसाड)** में स्थित आईसीडी को शामिल किया जाता है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/454/एएम–11/पीसी–4 से जारी)